राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 87 / XVIII(3) / 2016–20(01) / 2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 3 के खण्ड (ङ) V के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किसी लोक प्रयोजन के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि राज्य के किसी जिले के भीतर अवस्थित एक हजार एकड़ तक के क्षेत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु ऐसे जिले का कलेक्टर समुचित सरकार समझा जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 87/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 87/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to hereby notify that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose situated within a District of the State for an area not exceeding one thousand acres, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government.

By Order,

D. S. GARBYAL,

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 राजस्व / 140–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 90/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 4, धारा 5 एवं धारा 6 में क्रमशः सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किये जाने, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन करने की व्यवस्था उपबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिले में संबंधित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
3.	तहसीलदार	सदस्य,
4.	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/इस अध्ययन हेतु नामित गैर सरकारी विशेषज्ञ एजेन्सी	सदस्य,
5.	सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य	सदस्य,
6.	सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल	सदस्य–सचिव।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त समिति द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक् प्रकाशन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In section 4, section 5 and section 6 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), provide to preparation of social impact assessment study, to public hearing for social impact assessment and to publication of social impact assessment study respectably, the powers conferred by these sections the Governor is pleased to constitute of following committee for a social impact assessment and to fixation of public purposes on received on indentation letter of the land acquisition from concerning acquire bodies in the district, as follows, namely :--

1.	Concerning SDM	Chairman,
2.	Concerning Block Development Officer	Member,
3.	Tehsildar	Member,

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग—3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 91/XVIII(3)/2016—20(01)/2014—श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नवत् एक स्वतंत्र बहु—शास्त्रीय विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्—

1.	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष,
2.	संबंधित क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य,
3.	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो समाजिक विज्ञानी	सदस्य,
4.	संबंधित जिला पंचायत सदस्य	सदस्य,
5.	संबंधित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम	सदस्य,
6.	परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के केन्द्र तथा राज्य सरकार के जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य—सचिव,
7.	संबंधित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित पुनर्विस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ	सदस्य।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त विशेषज्ञ समूह अपनी संस्तुतियां प्रकाशन एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION
February 09, 2016

No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 7 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following independent multy disciplinary expert group for evaluation of Social Impact Assessment Study :

1.	Concerning Chief Development Officer	Chairman,
2.	Concerning Kshetra Panchayat Pramukh	Member,
3.	Two Social Scientist nominated by the concerning district Magistrate	Member,
4.	Concerning member of district Panchayat	Member,

5. Concerning chief urban officer or executive officer of the Nagar Panchayat/Nagarpalika/Nagar Nigam — Member,

6. District level officer of center and State Government of the concerning administrative department of the project — Member,

7. Two expert on rehabilitation nominated by the district magistrate from any degree college or technical institutions on teaching institutions of the concerning district — Member.

2. The Governor is also pleased that the above expert group shall provide his recommendations to the concerning district magistrate for publication and further proceeding.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 राजस्व / 142–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 92 / XVIII(3) / 2016–20(01) / 2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण हेतु निम्नवत् सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. सम्बन्धित नायब तहसीलदार,
2. अर्जन / अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी),
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक / लेखपाल।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 12 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following survey team for preliminary survey and survey for the purposes of enabling the appropriate Government to determined the extend the land to be acquired namely :

1. Concerning Naib Tehsildar,
2. Officer of the Tehsil level of acquire/require body (in case of non-availability district or State level officer),
3. Concerning Revenue Inspector/Lekhpal.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 राजस्व / 143–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 93/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि.............
....भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए (जो भी स्थिति हो अथवा दोनों के लिए)

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी (जनपद में अपर जिलाधिकारी का पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION
February 09, 2016

No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land displacement for rehabilitation and resettlement (as the case may be),

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the additional District Magistrate of concerning district (non-availability of the additional District Magistrate of the district the concerning SDM) and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

2. The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 राजस्व/144–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग—3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 94 / XVIII(3) / 2016—20(01) / 2014—श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावित कुटम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संबंधित मण्डल के आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का अधीक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 94/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 94/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 44 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint Commissioner for Rehabilitation and Resettlement to the concerning reason Commissioner for the Rehabilitation and Resettlement of the affected families.

2. Hereby appointed Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for the appropriate implementation of such schemes and schemes and to superintendent of monitoring the Rehabilitation and Resettlements schemes or projects and shall also be responsible of social after the implementation from the advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27—02—2016, भाग—1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 राजस्व / 145—14—03—2016—500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 95 / XVIII(3) / 2016–20(01) / 2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य,
3. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	सदस्य,
4. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
5. सम्बन्धित नायब तहसीलदार	सदस्य।

आज्ञा से, .
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme :

1. District Magistrate	Chairman,
2. Chief Development Officer	Member,
3. Concerning SDM	Member,
4. Concerning Block Development Officer	Member,
5. Concerning Naib Tehsildar	Member.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 राजस्व / 146–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 96 / XVIII(3) / 2016–20(01) / 2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामिनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामिनिर्देशिती;

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य या उनके नामिनिर्देशित;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

(a) a representative of women residing in the affected area;

(b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग—3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 97/XVIII(3)/2016—20(01)/2014—श्री राज्यपाल महोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या, 30 वर्ष 2013) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको अनुश्रवण करने के लिये निम्नवत् राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्—

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष,
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य—सचिव,
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 50 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a following state monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation or rehabilitation and resettlement schemes or plans under said Act, namely--

(a)	Chief Secretary to the State Government	Chairman,
(b)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, FRDC to the State Government	Member,
(c)	Principal Secretary/Secretary, Public Works Department to the State Government	Member,
(d)	Principal Secretary/Secretary, Revenue Department to the State Government	Member,
(e)	Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department to the State Government	Member,
(f)	Principal Secretary/Secretary, Energy Department to the State Government	Member,
(g)	Principal Secretary/Secretary, Transport Department to the State Government	Member,

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27—02—2016, भाग—1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 राजस्व/148—14—03—2016—500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई०

संख्या 98 / XVIII(3) / 2016–20(01) / 2014–श्री राज्यपाल महोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 51(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए "भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डी० एस० गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement authority for review of the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes of projects under the said Act.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 राजस्व / 149–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 99 / XVIII(III) / 2016–20(01) / 2014–चूँकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 112 में राज्य सरकार को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बनाये जाने की शक्ति प्रदान की गई है।

और, चूँकि, राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के लिए नियमों को गठित किया जाना आवश्यक और समीचीन समझती है।

उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियम, 2015

अध्याय 1

साधारण

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ग) ''सामाजिक समाघात प्रबंध योजना'' से अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है;

(घ) ''सामाजिक समाघात प्रबंध योजना'' से अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारत प्रकिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है;

(ङ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित

नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है।

अध्याय 2

सामाजिक समाघात निर्धारण

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

3\. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सामाजिक समाघात निर्धारण के सम्बन्ध में इन नियमों के प्ररूप 1 के भाग आ के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे स्थानीय भाषा में यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील में कार्यालयों में उपलब्ध कराएगी तथा प्रभावित क्षेत्र में पोस्टरों और पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर प्रचालित करेगी तथा उसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेगी:

परन्तु यह कि ऐसी अधिसूचना (अप्रेक्षितनिकाय द्‌वारा) सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए, ऐसी प्रसंस्करण फीस जो नियम (5) के उप नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, संबधित पंचायत नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा (4) के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख और समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि (प्रभावित कुटंबों के दृष्टिकोण, जिसे अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगाया जा सके)।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण प्ररूप (2) में राज्य सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के सम्मिलित अभिलिखित दृष्टिकोंण होंगे।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले प्रोन्नति कारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, संबंधित पंचायत नगर पालिका या नगर निगम की स्थानीय भाषा में प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला

कलेक्टर, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी और इसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

सांस्थनिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना 4. (1) समुचित सरकार, एक स्वतंत्र संगठन की (पहचान करेगी या स्थापना करेगी) जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित निकाय से भिन्न व्यक्ति या निकायों द्वारा किया जाता है।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगा, अर्थातः–

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण, स्त्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा और उसका सतत् रुप से विस्तार करेगा, जो कि भूमि अर्जन और पुर्नवासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचलित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा।

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश–निबंधन तैयार करके, सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा, संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगा ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगा तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामाग्रियों को उपलब्ध कराएगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकियाओं के दौरान यथा अपेक्षित सतत् सहायता और संशोधनकारी कार्रवाई का उपबंध करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वेब आधारित वर्कफ्लो का नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अनुरक्षण किया जाता है तथा अधिनियम के उपबंधो के अनुसार सभी सुसंगत दस्तावेजों का प्रकटन किया जाता है।

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारण और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को रखेगा ; और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारण और संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए क्वालिटी (का लगातार पुनरीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा और उसके सृदृढ़ बनाएगा।

परियोजना विनिर्दिष्ट 5. (1) जहां समुचित सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, ऐसे भूमि

निर्देश–निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस

अर्जन के लिए प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि–

(क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाइल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यतः किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए निर्देश निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों के प्ररुप 1 के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य सुपुर्दगियों के लिए अनुसूची और अंतिम तारीख निश्चित करेगा ;

(ख) प्रत्येक मद या कर्याकलापों के लिए निर्देश–निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अनुमानतः फीस का अवधारण। फीस की रकम समुचित सरकार द्वारा निश्चित किए गए पैरामीटरों, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारत फीस का दस प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को निर्देश–निबंधन तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और (समुचित सरकार को) अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

(3) अपेक्षित निकाय, सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के अधिसूचित बैंक में खाते में जमा करेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन

6. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित (सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटा बेस में) रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत (व्यष्टिकों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल) का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) अपेक्षित निकाय किसी भी प्रकार से सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त सामाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य (सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित, निर्देश–निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन (सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टिकों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा

और दल में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे–

(क) स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ संबंद्ध नहीं है ; और

(ख) कम से कम एक महिला सदस्यः

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के निर्धारण अवधि के दौरान, संपर्क करने के लिए, सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल सदस्यों में कोई हित का द्वंद नहीं है।

(7) (एक) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(दो) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य, इस आशय का वचन देगें कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य, प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः अपेक्षित निकाय या परियोजना में किसी भी पणधारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

सामाजिक समाघात संचालित करने की प्रक्रिया

7. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल (संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा,) विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचारविमर्श, (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) तकनीकों तथा (सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा।

(2) सभी सुसंगत परियोजना रिपोर्टों और साध्यता अध्ययनों को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में तथा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण दल से सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा। जिला कलेक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायी होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थातः–

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत

अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे ;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और अवस्थिति ;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है:

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता ;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंतिम विकल्प है ;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही कय की गई, अलग की गई, पट्टे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लाट का उपयोग ;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक, उपयोग न की जा रही भूमि की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि कब्जे के अधीन है;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्यमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का पैटर्न ;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा की बाबत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है।

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या और लोक और निजी अवसंरचना और आस्तियां; और

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों में भूमियों का अंतरण और उपयोग।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण (प्रभावित कुटुंबों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगा ;

परन्तु यह कि जहां पर गणना संभव नहीं है, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र की, उपलब्ध आंकडों और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शो पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररूप 2 के अनुसार तैयार की जानी चाहिए :

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, पहचान किए गए पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि और उसके वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी।

(6) ऊपर उल्लिखित प्रकियाओं में एकत्रित आंकडो के आधार पर प्रभावित समुदायों और प्रमुख पण से परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक

समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा।

(7) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के प्रक्रम पर पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(दो) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(तीन) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय होंगे —

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिम्मा लेगी ;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षों और जनसुनवाई की प्रतिक्रिया में किये गये हैं।

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अन्तर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे।

जन सुनवाईयां करने के लिए प्रक्रिया

8. **(1)** जन सुनवाईयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों का स्पष्ट करने, निष्कर्षों की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(2) जन सुनवाईयां एसी सभी ग्राम सभाओं में की जाएंगी जहां सदस्य भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा और प्रचार, लोक अधिसूचनाओं तथा इश्तहारों और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि के पांच किलोमीटर के घेरे के भीतर सभी गांवों में स्थानीय समाचार–पत्रों, रेडियो के माध्यम से और ग्राम पंचायत, नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना डालकर तीन सप्ताह पहले किए जाएंगे।

(4) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्ररूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्ररूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलक्टर के कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(दो) अपेक्षित निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति तामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट के निष्कर्षों में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृष्टिगत साधन का उपयोग किया जाएगा।

(5) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे राज्य स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

(दो) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके कमिक क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की बाबत सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वसनीय अनुवादकों सहित स्थानीय भाषा में की जाएगी।

(7) अपेक्षित निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रसंगों पर ध्यान देंगे।

(8) जन सुनवाईयों में हाजिर होने के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा।

(9) जन सुनवाई की कार्रवाईयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तदनुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी। इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण

दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना

9. अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी और, यथास्थिति, पंचायत नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के सदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो।

किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन

11. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा।

(2) विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलबध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचलित इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबासाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार

12. (1) समुचित सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिसमें जनता के न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो।

(2) उपधारा (1) के अधनी राज्य सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली

13. समुचित सरकार, एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघता निर्धारण की अधिसूचना से आरंभ होकर विनिश्चय करने कार्यान्वयन और संपरीक्षा से संबंधित प्रत्येक कदम को खोजते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बाबत अतिरिक्त प्रमाप

14. मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अंतर्वस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है।

बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित भूमि की सूची

15. भूमि की न्यूनतम मात्रा का अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी। सूची रिपोर्ट को समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा।

अध्याय 3
सहमति

सहमति अपेक्षाएं

16. (1) समुचित सरकार, सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू–स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग अ में अभिप्राप्त करेगी।

(2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा समुचित सरकार दवारा सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रकिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(3) समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अदयतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रकिया और भूमि अर्जन प्रारम्भ करने के लिए भू–स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों

और व्यष्टियों की पहचान की जा सके।

ग्राम सभा की सहमति 17. (1) जिला कलेक्टर ग्राम पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले (विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए जन–चेतना अभियान चलायेगा।

(2) ऐसे सभी व्यक्तियों के जो ग्राम सभा के अधिवेशन में उपस्थित थे, नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सहमति को विधिमान्य मानने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत से होगी;

परन्तु यह कि ग्राम सभा के अधिवेशन में ग्राम सभा की कुल महिला सदस्यों के एक–तिहाई महिला सदस्य उपस्थित होंगे।

(4) प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों सहित प्रतियां (ग्राम सभा अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) (एक) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभा सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(दो) निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षित निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय ग्राम सभा सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षित निकाय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (एक) विचार– विमर्श के पश्चात् ग्राम सभा प्रस्तावित अर्जन के लिए सहमति देते या रोकते हुए प्ररूप 4 के भाग आ में बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए बातचीत के पश्चात् निबंधन और शर्तें, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसके लिए अपेक्षित निकाय प्रतिबद्ध है और जिस पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षित निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

(दो) एक बार प्राप्त ग्राम सभा संकल्प पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होंगे और हस्ताक्षरित एक प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी।

(7) कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक सपष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के बातचीत किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा।

(8) ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज को कमिक पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(9) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य ग्राम सभा अधिवेशनों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

प्रभावित भू–स्वामियों की सहमति

18. (1) (एक) जिले के अधिकारियों द्वारा, लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू–स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है, सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(दो) सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में सूची इश्तहारों और पर्चों के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

(3) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, स्वायत्त जिला परिषदों, नगरपालिका, नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू–स्वामियों का अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षिक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू–स्वामियों के अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रत्येक प्रभावित भू–स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) (एक) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियाजनाओं के लिए अपेक्षिक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगेऔर प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(दो) निबंधन और शर्तें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षित निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षिक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (एक) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टिक भू–स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है।

(दो) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित संबंधित भू–धारक को दी जाएगी। घोषणा की प्राप्ति पर जिला कलेक्टर या

जिले के अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(7) (एक) उन भू–स्वामियों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू–स्वामियों के अधिवेशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारियों को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए इंतजाम किया जाएगा।

(दो) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर जिला कलक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति हसताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू–स्वामी को सौंपी जाएगी।

(8) सहमति प्रकिया भू–स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(9) (एक) भू–स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए।

(दो) सहमति प्रकिया का परिणाम पंचायत कार्यालयों में और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10)सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू–स्वामियों के अधिवेशन में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

सहमति प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व

19. (1) समुचित सरकार, सहमति अभिप्राप्त करने के लिए ग्राम सभाओं, पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषद अधिवेशन (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और प्रभावित भू–स्वामियों के अधिवेशन की तारीख समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी और सहमति प्रकिया में प्रभावित भू–स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन चेतना अभियान आयोजित करेगी।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है, स्थानीय भाषा में न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित उपलब्ध करा दिए गए हैं,; अर्थातः–

(क) स्थानीय भाषा में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की प्रति (यदि तैयार हो) ;

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक पैकेज ;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची ;

(घ) जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति का प्रत्याख्यान किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और यह कथन कि सहमति अभिप्राप्त करने के कम में प्रपीडन या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अवैध होगा,और

(ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे।

(3) जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त कोई पदधारी ग्राम सभा, पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और भू–स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होगा।

(4) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू–स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं।

सहमति प्रकियाओं के लिए अपेक्षित निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व

20. (1) अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों को नियुक्ति करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू–स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होंगे और भू–स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने के पूर्व परियोजना पर सभी सूचना के साथ ही साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगी।

संलग्नकः–भारत सरकार के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सा.स.नि.स.) नियम, 2014 के प्ररुप–1–4।

प्ररूप– 1

भाग अ, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी निर्देश, निबंधन और प्रक्रिया फीस

[नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

(एक) सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी इकाई, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रकिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले जमा करना होगा।

(दो) निर्देश निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी,—

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे सभी कियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया का अनुकम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि और ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की स्वीकृति लेने अपेक्षित है अथवा नहीं।

(घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए, अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल।

(ङ) प्रत्येक मद अथवा कियाकलाप की स्पष्ट अलग–अलग लागत के साथ निर्देश निबंधन के आधार पर कोई परियोजना–विनिर्दिष्ट बजट।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया में सुस्पष्ट–परिनिश्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी।

(तीन) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रकिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रकिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहुंच में होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। इन दरों का समय–समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

भाग आ, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना
[नियम 3 का उप नियम (1) देखिए]

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा ––

(क) परियोजना विकासकर्ता का नामः प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।

(ख) सामाजिक समाघता निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण कियाकलाप जिसके अन्तर्गत (एक) परामर्श (दो) सर्वेक्षण (तीन) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।

(ग) यदि ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।

(ङ) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।

प्ररूप– 2
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

[नियम 3 का उप–नियम (3) नियम 7 का उप–नियम (5) और उप–नियम (6) और नियम 14 देखिए]

अ– सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधी पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण
   (क) आयु, लिंग, जाति, धर्म
   (ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।
2. गरीबी के स्तर (बी0पी0एल0)
3. दुर्बल समूह (ए0पी0एल0)
   (क) स्त्रियां, (ख) बालक (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री–प्रधान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति
4. रक्त संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका।
5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।
6. प्रशासनिक संगठन।
7. राजनीतिक संगठन।
8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन।
9. भूमि का उपयोग और जीविका।
   (क) कृषि उपयोगी और गैर कृषि उपयोगी
   (ख) भूमि की गुणवत्ता – मृदा, जल, वृक्ष, आदि
   (ग) पशुधन
   (घ) औपचारिक एवं अनौपचारिक संकर्म और रोजगार।
   (ङ) श्रम श्रेणी और महिलाओं के कार्य गृहस्थवार विभाजन।
   (च) प्रवास।
   (छ) कुटुंब की आय के स्तर।